## न्यायालय कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाडा (छ०ग०)

राठप्रठक्र० ०4/बी-121/2013-14

## आदेश (पारित दिनांक 21 / 07 / 2014)

छ0ग0 शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया, रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 6-400/सात-1/2013 दिनांक 07 जुलाई 2014 के तहत राजस्व गांवों का पुर्नगठन करने संबंधी निर्देश प्राप्त होने पर इस न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया

जाकर कार्येवाही हेतु तंहसीलदार गीदम को भेजा गया।

तहसीलदार गीदम द्वारा राजस्व ग्राम कारली, पटवारी हल्का नंबर 09, ग्राम पंचायत कारली को विभाजन कर पृथक से बड़ेकारली को नया राजस्व ग्राम बनाये जाने सुसंगत अभिलेख सिहत प्रतिवेदन इस न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण में ग्राम सभा का प्रस्ताव प्राप्त कर संलग्न किया गया। नया राजस्व ग्राम बड़ेकारली का कुल क्षेत्रफल 1320.22 है0 है। ग्राम की चर्तुसीमाएं निम्नानुसार है:—

उत्तर में - राजस्व ग्राम कासोली एवं हीरानार।

दक्षिण में - आरक्षित वन।

पूर्व में - राजस्व ग्रांम कारली एवं हारम।

पश्चिम में - राजस्व ग्राम जपोड़ी एवं आरक्षित वन।

राजस्व ग्राम कारली को विभाजन कर पृथक से बड़ेकारली को नया राजस्व ग्राम बनाये जाने तहसीलदार गीदम एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा०) दन्तेवाड़ा ने भी प्रस्तावित किया है।

छ०ग० शासन राजस्व विभाग की सूचना क्रमांक एफ 4–137/सात-1/2013 दिनांक 01/01/2014 के माध्यम से छ०ग० भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अन्तर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां कलेक्टर को प्रदत्त की गई है।

अतः तहसीलदार गीदम के जॉच प्रतिवेदन एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा०) दन्तेवाड़ा के प्रस्ताव के आधार पर छ०ग० भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 73 के तहत प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राजस्व ग्राम कारली प०ह०नं० ०९ ग्राम पंचायत कारली तहसील गीदम का विभाजन कर पृथक से बड़ेकारली नाम का नया राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है। तद्नुसार संबंधित ग्राम के शासकीय अभिलेख में आवश्यक दुरूस्ती किया जावे।

कलेक्ट्र